

प्रेषक,

शिक्षा प्रबन्धना गुप्त  
उपर्युक्त सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में

✓ सचिव  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,  
शिक्षा केन्द्र - २ सम्माय केन्द्र,  
प्रीतिविहार, नई दिल्ली ।

शिक्षा १७। अनुभाग

लेखनक्र: दिनांक: 16 जून, 2005

विषय:- ब्रह्मन पञ्चक स्कूल तिरसी, सम्मल, मुरादाबाद को सी०बी०एस०८० नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापात्त प्रमाण पत्र दिया जाना ।

मठोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आवृष्ट हरते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्ता संदर्भित विधालय को सी०बी०एस०८० नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापात्त प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रातिबंधों के अधीन आपात्त नहीं है :-

- 11। विधालय की प्रजीकृत सौसायटी का सम्बन्ध पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 12। विधालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नोटमित एक सदस्य होगा ।
- 13। विधालय में कम से कम 10 प्रातिक्रिया स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के ऐधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे ३०प्र०मा०शिक्षा परिषद्/ बैतिक शिक्षा परिषद् द्वारा संघालित विधालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 14। संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की पाँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विधालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् अथवा बैतिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त है तथा विधालय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्/कौन्सिल फारंडि इण्डियन स्कूल स्टीफिलैंड इकाजाभिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से ३०प्र०मा०शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगे ।

- १५। संस्था के शैक्षिक स्वं शिक्षणीत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वैतनमानों तथा अन्य भत्तों से ला वैतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।
- १६। कर्मचारियों की सेवा इर्ती बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासलीय उच्चतर माध्यमिक विधालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा-निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- १७। राज्य सरकार द्वारा समय-सम्बन्ध पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- १८। विधालय का रिळाई निधाईरित प्रएन्डर्सन्जिकाओं में रखा जायेगा ।
- १९। उक्त शतों में राज्य सरकार लेम्पार्नुमौद्रन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय वह पापा जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की घूँट या शिक्षिता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापर्त्त प्रमाण प्र प्राप्त होना ले लिया जायेगा ।

अधीय,

। शिष्टप्रकाश गुप्त ।  
संयुक्त सचिव ।

### पूर्वोत्तर दिनांक त्रैव

- प्रतिलिपि निम्नलिखित जो सूचनार्थ स्वं आवश्यक कार्यवाही हेतु ऐंशित :-
- १- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश ।
  - २- माडनीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मुरादाबाद ।
  - ३- जिला विधालय निरीक्षक, मुरादाबाद ।
  - ४- निरीक्षक, आंगन भारतीय विधालय, उत्तरप्रदेश, लखनऊ ।
  - ५- प्रबंधक, ब्रह्मन परिकल स्कूल सिरसी, संभल, मुरादाबाद ।
  - ६- गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

*(Signature)*  
। शिष्टप्रकाश गुप्त ।  
संयुक्त सचिव ।